ग्राम पंचायत शकरोडी, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016

भाग–एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD / 2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत शकरोडी, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री यशपाल शर्मा	1.4.13 से 22.1.16
2	श्रीमति कलापाल	23.1.16 से लगातार

सचिव

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री धर्म प्रकाश	1.4.13 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत शकरोडी के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	**10**	14 वें वितायोग से प्राप्त अनुदान की राशि का उपयोग न करना	**1.86**
2	**11**	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	**5.42**
3	**14(ख)**	माप पुस्तिका में मस्ट्रोल की प्रविष्टि किए बिना ही मजदुरों को भुगतान करना	**0.37**

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत शकरोडी, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राम सिहं चौहान, अनुभाग अधिकारी और मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 19.7.2016 से 22.7.2016 के दौरान ग्राम पंचायत, शकरोडी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 1/15, 6/15 तथा माह 3/14, 10/14, 3/16 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नही होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत शकरोडी, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹8000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0–1 दिनांक 21.7.16 द्वारा सचिव, पंचायत शकरोडी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत शकरोडी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी, जिसका विवरण **"परिशिष्ट–1"** पर भी दिया गया है।

(क) स्व स्त्रोत व विविध अनुदान :– ग्राम पंचायत शकरोडी के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 की स्व स्त्रोतों व विविध अनुदान **(खाता "क")** की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	362949.06	1079814	1442763	879857	562906.06
2014–15	562906.06	1164594	1727500	1113512	613988.06
2015–16	613988.06	1133207	1747195	1042923	704272.06

(ख) अनुदानः– ग्राम पंचायत शकरोडी के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति **(खाता "ख")** का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है :–

अनुदानों का विस्तृत विवरणः–

अनुदान का नाम	वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
मनरेगा	2013–14	28470	1733180	1761650	1758253	3397
	2014–15	3397	1461025	1464422	1464422	0
	2015–16	0	670584	670584	670584	0

अनुदान का नाम	वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
वाटर शैड	2013–14	3927	923594	927521	870402	57119
	2014–15	57119	266978	324097	273615	50482
	2015–16	50482	60238	110720	91341	19379

5 रोकड वही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत शकरोडी की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड वही व बैंक खातों का मिलान नही किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बैक समाधान विवरणी :– अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत, शकरोडी द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है। दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में निम्न विवरणानुसार कोई अन्तर नहीं पाया गयाः–

क्रम सं0	**खाता**	**अन्तशेष**
	रोकड वही की वित्तीय स्थिति के अनुसार	
1	रोकड वही के अनुसार खाता ''क''–पैरा 4(1)	**704272.06**
2	रोकड वही के अनुसार खाता ''ख''–पैरा 4(2)	**19379**
	कुल योग	**723651.06**
1	**बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेष (परिशिष्ट –2) :–**	**723589.06**
2	**हस्तगत राशि**	**62.00**
	कुल योग	**723651.06**
रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर		**शून्य**

अतः मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना

(क) रोकड वही का निर्माण नियमानुसार न करना

ग्राम पंचायत शकरोडी की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) के अनुसार रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा स्व स्त्रोत और समस्त प्रकार के अनुदानों हेतु तीन रोकड़ बहियों का निमार्ण किया गया है, जोकि नियमों के विरूद्व है। अतः नियमों के विरूद्व तीन रोकड बहियों का निर्माण करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) नियमों के विरूद्व चार बैंक बचत खातों का खोला जाना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता ''क'' में पंचायत के स्वयं संसाघनों से प्राप्त आय तथा खाता ''ख'' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत शकरोड़ी में दो के स्थान पर **परिशिष्ट–2** में वर्णित चार बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्व खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7 निवेशः– सचिव ग्राम पंचायत, शकरोड़ी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत निधि में से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित निमय के अनुसार तैयार न करने के स्थान पर केवल मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन इसे लेकर पारित करवाया जा रहा है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व की वसूली

सचिव, ग्राम पंचायत, शकरोडी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–3)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व में वसूली हेतु कोई भी राशि शेष नहीं थी।

10 14वें वितायोग से प्राप्त अनुदान की ₹1.86 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा 14वें वितायोग से प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट–4}** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान की ₹185751 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.42 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹542083 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
3	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
4	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(1)
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	विभिन्न कार्यो का तकनीकी रजिस्टर	31	95(1)

14 विविध अनियमितताएः–

(क) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है ।

(ख) माप पुस्तिका में मस्ट्रोल की प्रविष्टि के बिना ही मजदूरों को ₹0.37 लाख का भुगतान करना

चयनित माह 3/14 में वाटर शैड के अन्तगर्त स्टारेज़ टैंक शकरोड़ी वार्ड–1 के निर्माण की मजदूरों की ₹36982 का भुगतान दिनांक 31.3.14 को किया था। भुगतान करने से पूर्व उक्त मजदूरों के मस्ट्रोल की प्रविष्टि लेखा परीक्षा की समाप्ति तक माप पुस्तिका में नहीं की थी जोकि अनियमित है। अतः मस्ट्रोल की प्रविष्टि को माप पुस्तिका में करने से पूर्व लेबर को मजदूरी का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में माप पुस्तिका में मस्ट्रोल की प्रविष्टि तथा भुगतान आदेश पारित करने के उपरान्त ही लेबर की मजदुरी का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) क्रय की गयी निर्माण सामग्री से नियमानुसार (voids) की कटौती न करने के कारण ₹6414 का अधिक भुगतान करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी, उसमे से 10 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 की बजरी पर 5 प्रतिशत की दर पर तथा 25 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 की बजरी पर 10 प्रतिशत की दर पर तथा उससे उपर के पथरों की आपूर्ति पर 12.5 प्रतिशत voids की कटौती करने के उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित था, परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, जोकि **"परिशिष्ट–6"** पर संलग्न है, के अनुसार बजरी व पथरों पर voids की कटौती नहीं की गई थी, जिसके कारण आपूर्तिकर्ता को ₹6414 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः किये गये अधिक भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(घ) अग्रिम की ₹1.00 लाख का समय पर समायोजन न करना

ग्राम पंचायत, शकरोडी द्वारा अग्रिम के रूप में ₹100000 का भुगतान चैक संख्या 782200 दिनांक 4.5.13 द्वारा श्री यशपाल शर्मा को सामुदायिक भवन, चाबा के निर्माण हेतु किया गया था। उक्त अग्रिम राशि की प्रविष्टि अग्रिम रजिस्टर में भी नहीं की थी तथा श्री यशपाल शर्मा ने उक्त राशि को समायोजित करने के बिल/वाउचर दिनांक 24.3.14 को लगभग 10 माह के उपरान्त प्रस्तुत किए थे, जोकि आपत्तिजनक है। अतः अग्रित राशि को समय पर व्यय न करके उसका समायोजन 10 माह के उपरान्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अग्रिम राशि की प्रविष्टि अग्रिम रजिस्टर में की जानी तथा अग्रिम राशि का समायोजन भी समय पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ड़) सीमेंट के अभाव में मनरेगा कार्यो के प्रभावित होने बारे

मनरेगा के अन्तर्गत करवाये जा रहे विभिन्न कार्यों हेतु ग्राम पंचायत द्वारा 310 सीमेंट बैग की खरीद हेतु हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से मांग की गई थी, जिसके लिए निगम द्वारा प्रफोर्मा इन्वाईस सं0 1218721 दिनांक 28.8.15 जारी किया गया। अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त निगम को सीमेंट की आपूर्ति हेतु खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय द्वारा सीधा भुगतान किया जाता है व जितने सीमेंट बैग का भुगतान किया जाता है उतने बैग की आपुर्ति पंचायत को कर दी जाती है। जांच करने पर पाया गया कि निगम द्वारा आज तक 310 बैग में से केवल 45 बैग सीमेंट की आपूर्ति की गई थी जबकि शेष 265 बैग सींमेंट की आपूर्ति की जानी बकाया थी, जिससे स्पष्ट होता है कि खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय द्वारा 10 माह की अवधि में केवल 45 सीमेंट बैग की आपूर्ति हेतु भुगतान किया गया था। परिणामस्वरूप सीमेंट की आपूर्ति के बिना मनरेगा के विभिन्न कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुए व जनमानस को मनरेगा योजना के लाभों से वंचित रहना पड़ा। अतः इस सन्दर्भ में वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में सीमेंट की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित की जाए, ताकि मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

(च) निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की खपत का अभिलेख न रखना

ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य निधि व मनरेगा के लिए एक संयुक्त स्टॉक रजिस्टर का निर्माण किया गया था परन्तु उसमें समय–समय पर वांछित प्रविष्टियॉ नहीं की गई थी, जोकि अनियमित है। पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया, रेत बजरी इत्यादि की आपूर्ति हेतु लाखों रूपये की राशि व्यय की जा रही है परन्तु क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करने के अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि किस कार्य हेतु कितनी सामग्री की खपत हुई है तथा किसी तिथी विशेष को कितनी मात्रा शेष थी। इस प्रकार अभिलेख में प्रविष्टि न करने के कारण स्टॉक में दुःर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक से जारी होने वाले सामान की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए तथा उसकी वास्तविक खपत व अन्त शेष का भी अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(छ) मनरेगा निर्माण कार्य

मनरेगा के निर्माण कार्यों के अवलोकन पर पाया कि यह निर्माण कार्य 1.5 लाख से अधिक के थे तथा उनकी माप पुस्तिका, प्राक्लन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्धित निर्माण कार्यो की नस्तियों में उपलब्ध नहीं थे। पंचायत सचिव द्वारा मौखित रूप से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया कि उक्त अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर के कार्यालय में रखे गए हैं, जिन्हें उक्त कार्यालय से प्राप्त करके पंचायत कार्यालय में सत्यापनार्थ रखा जाए तथा भविष्य में उक्त अभिलेख की प्रतियों को सम्बन्धित निर्माण कार्यों की नस्तियों में रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्ष :–** लेखों के रख रखाव में नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा इसमें अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 13/2016–खण्ड–1–5349–5352 दिनाँकः 06.10.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत शकरोड़ी, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.